ऑनलाइन दस्तावेज सत्यापन पत्र के निर्देशों का अत्यंत सावधानीपूर्वक अध्ययन कर व उन्हें भली–भांति समझने के पश्चात आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों का प्रिंट निकालकर आवश्यक जानकारियों की प्रविष्टि कर सत्यापन के समय प्रस्तुत करें।

प्रावधिक–पत्र विज्ञापन की शर्तों के अधीन

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

शंकर नगर मार्ग, रायपुर –492001

फोन न. –0771–2439562, 2446556 (फैक्स), वेबसाइट–www.psc.cg.gov.in

क्रमांक 108 / 14 / चयन / 2019 दिनांक 10 / 04 / 2019

दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलावा पत्र

प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (तकनीकी शिक्षा विभाग)

महोदय / महोदया,

प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (तकनीकी शिक्षा विभाग) के दस्तावेज सत्यापन हेतु तिथि एवं समय पंजीयन क्रमांक / अनुक्रमांक अनुसार आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापन हेतु आयोग कार्यालय में दस्तावेज सत्यापन समय सारणी के अनुसार उपस्थित होना होगा।

2. दस्तावेज सत्यापन के लिए उपरोक्तानुसार निर्धारित तिथि / समय में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा तथा निर्धारित तिथि एवं समय में दस्तावेजों का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा। निर्धारित तिथि एवं समय में दस्तावेज सत्यापन नहीं कराने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। नीचे लिखे निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें एवं आवश्यक मूल दस्तावेजों के साथ निर्धारित तिथि एवं समय पर आयोग कार्यालय में उपस्थिति देवें।

2.1 सफलतापूर्वक ऑनलॉइन दस्तावेज सत्यापन हेतु बुलावा पत्र एवं संलग्न चार दस्तावेज (1) जानकारी पत्रक (01 प्रति में), (2) अनुप्रमाणन–पत्रक (03 प्रति में) (तीनों प्रतियों को राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित कराना अनिवार्य है।) (3) उपस्थिति पत्रक (01 प्रति में) तथा (4) व्यक्तिगत विवरण (06 प्रतियों में) डाऊनलोड कर आवश्यक प्रविष्टियां कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अनुप्रमाणन पत्र एवं जानकारी पत्रक महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं तथा इसमें त्रुटिपूर्ण / गलत जानकारी दिये जाने पर आपकी उम्मीद्वारी निरस्त की जा सकती है।

2.2 अनुप्रमाणन पत्रक के पहचान प्रमाण पत्र कॉलम में किसी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन (तीनों प्रतियों में) कराया जाना अनिवार्य है। अतः राजपत्रित अधिकारी से सत्यापन कराकर ही अनुप्रमाणन पत्रक की हार्डकॉपी तीन प्रतियों में प्रस्तुत करना होगा।

2.3 **प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (तकनीकी शिक्षा विभाग) के पद के लिए आयोग द्वारा प्रसारित 01 / 2019 / परीक्षा / दिनांक 10 / 01 / 2019 के** अनुसार **शैक्षणिक अर्हता विज्ञापन की कंडिका (2) (A)/(B)/(C) (जो लागू होता हो) के अनुसार अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। यह स्पष्ट किया जाता है कि शैक्षणिक अर्हता एवं अनुभव से संबंधित अंकसूची / प्रमाण पत्र (सभी वर्षों के वार्षिक परीक्षा / सेमेस्टर की परीक्षा) प्राप्त करने की अंतिम तिथि 16 / 03 / 2019 तक का अथवा इसके पूर्व का होना अनिवार्य है। उक्त तिथि के बाद के अंकसूची / उपाधि / प्रमाण पत्र / नवीन प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगें। इस संबंध में अंकसूची / उपाधि प्रमाण पत्र की मूल प्रति तथा दो–दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।**

2.4 **यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है, तो आवेदक को दस्तावेज सत्यापन के लिये उपस्थित होने पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण पत्र, मध्यप्रदेश शासन के समय जारी किये गये प्रमाण पत्र का राज्य गठन के पश्चात पुनर्वैधिकृत प्रमाण पत्र अथवा राज्य गठन के पश्चात् सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किए गए स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है, उक्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।**

2.5 यदि आपने छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी होने एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर आरक्षण का लाभ लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है तो राज्य गठन के पश्चात् छत्तीसगढ़ शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व) द्वारा जारी किये गये अन्य पिछडा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, परन्तु यदि आप एकीकृत मध्य प्रदेश के समय का छत्तीसगढ राज्य की सीमाओं के अधीन जिले/अनुविभाग के द्वारा जारी किया गया "जाति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करते हैं तो उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को "गैर क्रीमीलेयर" में आने के संबंध में "आय प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करना होगा तभी राज्य गठन के पूर्व जारी "जाति प्रमाण पत्र" (उल्लेखित अनुसार आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर) मान्य होगा। उल्लेखित अनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने पर आपको अनर्ह करते हुए साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

2.6 छ.ग. राज्य के गठन के पश्चात अन्य पिछड़ा वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें (गैर क्रीमीलेयर) का होने के आधार पर छ.ग. शासन के सक्षम प्राधिकारी (अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) द्वारा स्थायी जाति प्रमाण पत्र जारी किया गया है। यदि यह जाति प्रमाण पत्र विज्ञापन में दर्शित अंतिम तिथि के 3 वर्ष पूर्व का हो, तो उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन प्रस्तुत करने के अंतिम तिथि के 03 वर्ष के भीतर का स्वयं को गैर क्रीमीलेयर में आने के संबंध में आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

2.7 यदि आप शासकीय/अर्द्धशासकीय/गैर शासकीय/नीजि प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं तो नियोक्ता /सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।

2.8 यदि आयोग द्वारा प्रसारित विज्ञापन के अनुसार आवेदन करने के पश्चात् आपके उपनाम में परिवर्तन हुआ हो तो उपनाम परिवर्तन का शपथपत्र की दो–दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

2.9 जन्म तिथि के प्रमाण के संबंध में हाई स्कूल/हायर सेकेण्डरी स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा से संबंधित मूल प्रति एवं दो–दो सत्यापित अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति।

2.10 आपके द्वारा **प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (तकनीकी शिक्षा विभाग)** के लिए ऑनलाईन भरे गये आवेदन पत्र की हॉर्ड कॉपी (प्रिंटआऊट) की प्रति के साथ–साथ पहचान–पत्र जैसे मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेंस, आधार कार्ड या पेन कार्ड इनमें से कोई भी एक पहचान पत्र की मूल प्रति एवं दो–दो छायाप्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।

3. **यदि आप उपरोक्तानुसार जानकारी (जो लागू होता हैं) के साथ उपस्थित नहीं होते हैं तो आपको साक्षात्कार से वंचित किया जा सकेगा तथा आप उक्त पद हेतु वास्तव में सभी आवश्यक शर्तों की पूर्ति करते हैं अथवा नहीं, के निर्धारण करने का अधिकार आयोग का होगा एवं इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।**

4. साक्षात्कार के लिए यात्रा व्यय स्वयं अभ्यर्थी के द्वारा वहन की जाएगी, परन्तु छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के केवल बेरोजगार **अभ्यर्थियों को उनके द्वारा बस/रेल टिकट प्रस्तुत किये जाने पर साधारण दर्जे का वास्तविक किराया राशि की पात्रता होगी।**

5. विशेष टीप :– उपर्युक्त के अतिरिक्त आपको साक्षात्कार के पूर्व मूल प्रमाण पत्रों की जॉच के समय निम्नानुसार अभिलेख (साक्षात्कार हेतु प्रावधिक रूप से बुलाये जाने के फलस्वरूप), प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उपर्युक्त विषय पद हेतु आपकी उम्मीद्वारी आयोग द्वारा निरस्त की जा सकेगी।

6.1 शैक्षणिक अर्हता/अनुभव से संबंधित अंक सूची/प्रमाण पत्र (सभी वर्षो के वार्षिक परीक्षा/सेमेस्टर की परीक्षा) प्रमाण पत्र की मूल प्रति एवं दो–दो प्रति सत्यापित छायाप्रति प्रस्तुत करें।

6.2 यह स्पष्ट किया जाता है कि दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहने वाले आवेदकों को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जायेगा तथा चयन प्रक्रिया से पृथक किया जा सकेगा।

6.3 विज्ञापन की कंडिका 4 के अनुसार आयु की गणना 01/01/2019 से की जायेगी।

6.4 दस्तावेज सत्यापन के समय **प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (तकनीकी शिक्षा विभाग)** के लिए ऑनलाइन आवेदन की दो प्रति जमा करना अनिवार्य है।

6.5 यदि आपके द्वारा अपने संबंधित विषय में एक पद से अधिक (जैसे प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष) पदों के लिए ऑनलाइन भरे गये है, तो पद वरीयता क्रम (अग्रमान्यता पत्रक) भरना अनिवार्य है।

10.4.19

परीक्षा नियंत्रक
छ.ग. लोक सेवा आयोग
रायपुर

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर

दस्तावेज सत्यापन समय–सारिणी

प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (तकनीकी शिक्षा विभाग)–2019

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
HOD (Poly)-Electrical		
	DTE190218000084	DTE190307000536
	DTE190219000118	DTE190308000548
	DTE190219000122	DTE190309000562
	DTE190220000149	DTE190310000587
	DTE190220000157	DTE190311000607
	DTE190220000158	DTE190311000631
	DTE190221000189	DTE190313000686
	DTE190222000209	DTE190314000704
	DTE190222000212	DTE190314000705
	DTE190224000236	DTE190314000709
	DTE190226000289	DTE190314000711
24-04-2019	DTE190227000315	DTE190314000713
	DTE190228000338	DTE190315000733
	DTE190301000358	DTE190315000734
	DTE190301000363	DTE190315000748
	DTE190301000365	DTE190315000764
	DTE190303000422	DTE190316000789
	DTE190304000445	DTE190316000812
	DTE190306000487	DTE190316000813
	DTE190306000501	DTE190316000821
	DTE190307000508	DTE190316000828
	DTE190307000527	
	DTE190307000531	
Professor (Engg)-Information Technology		
	DTE190223000223	
	DTE190303000403	
25-04-2019	DTE190303000419	
	DTE190311000620	
	DTE190311000639	

दस्तावेज सत्यापन समय–सारिणी
प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (तकनीकी शिक्षा विभाग)–2019

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
Associate Professor (Engg)-Information Technology		
25-04-2019	DTE190216000017	
	DTE190216000027	
	DTE190219000106	
	DTE190219000120	
	DTE190223000224	
	DTE190228000325	
	DTE190303000421	
	DTE190309000566	
	DTE190314000699	
	DTE190314000701	
	DTE190315000754	
	DTE190315000766	
HOD (Poly)-Information Technology		
25-04-2019	DTE190218000079	DTE190225000274
		DTE190227000311
		DTE190227000317
		DTE190305000455
		DTE190307000504
		DTE190307000519
		DTE190307000529
		DTE190311000608
		DTE190311000638
		DTE190315000747
		DTE190315000760
		DTE190316000826
Associate Professor (Engg)-Chemistry		
25-04-2019		DTE190216000039
		DTE190301000369
		DTE190310000586

दस्तावेज सत्यापन समय–सारिणी

प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (तकनीकी शिक्षा विभाग)–2019

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
	HOD (Poly)-Civil	
25-04-2019		DTE190217000062
		DTE190219000107
		DTE190316000779
		DTE190316000796
	HOD (Poly)-Computer Science	
26-04-2019	DTE190217000051	DTE190311000618
	DTE190217000053	DTE190311000628
	DTE190217000060	**DTE190314000715**
	DTE190220000151	**DTE190314000717**
	DTE190221000175	DTE190315000736
	DTE190221000192	DTE190315000738
	DTE190225000263	**DTE190315000776**
	DTE190225000266	**DTE190315000777**
	DTE190226000291	DTE190316000781
	DTE190228000352	DTE190316000785
	DTE190301000362	
	DTE190301000364	
	DTE190301000366	
	DTE190301000368	
	DTE190304000443	
	DTE190311000612	
	DTE190311000613	
	Professor (Engg)-Mining	
26-04-2019		DTE190220000159
	Associate Professor (Engg)-Mining	
26-04-2019		DTE190219000132
		DTE190306000489
	HOD (Poly)-Mining	
26-04-2019		DTE190220000152
		DTE190220000154

दस्तावेज सत्यापन समय–सारिणी
प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (तकनीकी शिक्षा विभाग)–2019

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
Associate Professor (Engg)-Electrical and Electronics		
27-04-2019	DTE190217000058	
	DTE190218000081	
	DTE190219000135	
	DTE190220000142	
	DTE190221000172	
	DTE190226000290	
	DTE190306000497	
	DTE190307000526	
	DTE190315000732	
HOD (Poly)-Electronics and Telecommunication		
27-04-2019	DTE190216000032	**DTE190228000354**
	DTE190216000037	DTE190303000401
	DTE190219000115	DTE190303000423
	DTE190220000146	DTE190304000449
	DTE190220000147	DTE190305000452
	DTE190220000150	DTE190305000457
	DTE190220000160	DTE190306000488
	DTE190224000248	DTE190307000520
	DTE190225000251	DTE190311000605
	DTE190225000254	DTE190311000627
	DTE190225000269	DTE190312000652
	DTE190226000279	DTE190312000669
	DTE190226000282	DTE190314000707
	DTE190226000302	DTE190314000721
	DTE190227000313	DTE190315000730
	DTE190227000314	DTE190315000757
	DTE190228000349	DTE190315000771
		DTE190316000786
		DTE190316000792

दस्तावेज सत्यापन समय–सारिणी
प्राध्यापक, सह प्राध्यापक एवं विभागाध्यक्ष (तकनीकी शिक्षा विभाग)–2019

दस्तावेज सत्यापन दिनांक	प्रथम पाली (सुबह 9:00 बजे से)	द्वितीय पाली (दोपहर 01:00 बजे से)
Associate Professor (Engg)-Electronics and Telecommunication		
27-04-2019		DTE190216000024
		DTE190217000065
		DTE190219000113
		DTE190226000297
		DTE190311000604
Associate Professor (Engg)-Mechanical		
29-04-2019	DTE190305000478	
HOD (Poly)-Mechanical		
29-04-2019	DTE190219000128	
	DTE190224000245	
	DTE190305000471	
	DTE190307000509	
	DTE190313000697	
	DTE190315000729	
HOD (Poly)-Metallurgy		
29-04-2019	DTE190222000195	
Associate Professor (Engg)-Mathematics		
29-04-2019	DTE190314000710	
	DTE190316000799	

परीक्षा नियंत्रक
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
रायपुर